रेत खनन परियोजना पर रायशुमारी से नाराज ग्रामीणों की चेतावनी

अधिकारियों ने बताए नियम तो लोगों ने जड़े संगीन आरोप

इन्द्री। यमुना नदी में रेत खनन योजना के लिए प्रशासन में गांव नबी आबाद के पास क्षेत्र के दर्जन भर गांव के लोगों से रायशुमारी की। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अधिसूचना के अनुसार प्रस्तावित रेत खनन परियोजना को लेकर आयोजित इस कार्यक्रम में नगराधीश अमन कुमार की अध्यक्षता में लोगों ने रेत खनन से होने वाली हानियों एवं परेशानियों का उल्लेख किया।

जनता ने प्रशासन के अधिकारियों के सामने रेत खनन के कार्य से होने वाले नुकसान को लेकर आपत्ति जताई। ग्रामीणों का कहना है कि रेत खनन परियोजना पाने के बाद ठेकेदार क्षेत्र में नियमों की अवहेलना कर कार्य करते हैं। हेवी लोड वाहनों की वजह से जहां क्षेत्र के गांव में हादसों का खतरा बना रहता है, वहीं पर क्षेत्र में गहरे तक यमुना नदी व क्षेत्र को खोदने से जल बहाव बदल जाता है। पानी के बहाव में बदलाव होने से बाढ़ आदि का खतरा बढ़ जाता है। राहुल सहित कई लोगों ने यह भी आरोप लगाए कि नियमों के विपरीत रेत खनन के कार्य से आसपास की खेती करने वाले किसानों पर भी उल्टा प्रभाव पड़ेगा। रेत, मिट्टी व धूल आदि उड़ने से लोगों को कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। रेत के बड़े-बड़े ढेर लगाकर जनता के लिए रेत व धूल का मुफ्त में जानलेवा माहौल बना दिया जाता है। लोगों ने आरोप लगाया कि रेत खनन के टेंडर होने के बाद अधिकारी मोटी घूस लेकर नियमों की धज्जियां उड़वाते है तथा शिकायत करने वालों की कोई परवाह नहीं करते। लोगों ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि ग्रामीणों की भावनाओं के विपरीत रेत खनन के टेंडर देने की प्रक्रिया अपनाई गई तो विरोध में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है।

इस मौके पर पहुंचे खनन विभाग और प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को सरकार द्वारा यमुना नदी में नबी आबाद घाट और उसके आसपास के घाटों पर रेत खनन के लिए टेंडर लगाने की योजना का विस्तार से विवरण दिया। अधिकारियों ने लोगों को समझाया की रेत खनन के लिए दिए जाने वाले टेंडर नियमों के अनुसार होते हैं और नियमों की पालना न करने वाले टेंडर धारकों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है अधिकारियों ने कहा कि रेत खनन के टेंडर से होने वाली आमदनी सरकार विकास कार्यों व जनहित के कार्यों पर खर्च करती है। रेत निजी व विकास कार्यों में इस्तेमाल होता है। इसलिए यमुना नदी से रेत निकालने के लिए सरकार नियम अनुसार स्वीकृति प्रदान करती है। क्षेत्र के लोगों को कोई असुविधा ना हो इसलिए उनकी सहमति भी ली जाती है।

इस मौके पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शैलेन्द्र अरोड़ा ने नबी आबाद रेत खनन परियोजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य नदी के किनारों को चौड़ा होने से रोकना तथा आसपास के क्षेत्र को बाढ़ और नुकसान से बचाना है। समाज के सबसे गरीब वर्ग के लिए आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाना, इस परियोजना से निर्माण सामग्री जैसे रेत पूर्ति में सुधार होगा, जिससे राज्य में बुनियादी जरूरतें, परियोजनाओं जैसे सड़कों, इमारतों, पुलों आदि के निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नदी के बहाव से लघु खनिजों इत्यादि के खनन एवं संग्रह द्वारा नदी के मौजूदा मार्ग को बनाए रखना है।

उन्होंने बताया कि रेलवे लाइन, जलाशय अथवा सड़क से 50 मीटर की दूरी तक कोई खनन का कार्य नहीं किया जाएगा। नदी के सूखे क्षेत्र पर खनन किया जाएगा, सक्रिय जलधारा को प्रभावित नहीं किया जाएगा। भूमिगत जल स्तर से नीचे खनन की अनुमति नहीं होगी, वन क्षेत्र में खनन की अनुमति नहीं होगी, ठेकेदारों को खनन के समय खान अधिनियम 1952 और खान एवं खनिज अधिनियम 1957, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का पालन करना होगा। ठेकेदारों को खान अधिनियम 1952 के प्रावधानों, अंतरराज्यीय प्रवासी कार्यबल अधिनियम का पालन करना होगा। ठेकेदार सक्षम अधिकारी की संतुष्टि के साथ केन्द्र एवं राज्य सरकार के श्रमिक कानूनों के अनुसार पेजयल, आश्रय, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, कल्याण सुविधाएं इत्यादि उपलब्ध करवाएंगे।

उन्होंने पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि धूल को उड़ने से बचाने के उपाय किए जाएंगे जैसे सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा, ध्यान रखा जाएगा कि तिरपाल से ढककर रेत का परिवहन हो ताकि रेत को उड़ने या गिरने से रोका जा सके, वाहनों की ओवरलोडिंग नहीं की जाएगी। पट्टे की अवधि के दौरान खनन कार्य शीर्ष सतह से 3 मीटर की गहराई तक किया जाएगा।

यूपी पुलिस पर दर्ज अपहरण का केस पड़ताल में निकला झूठा

आरपीआईआईटी कॉलेज के मालिक को रेप केस में पकड़ ले गई पुलिस

करनाल (जेके शर्मा) प्रसिद्ध आरपीआईआईटी कॉलेज के मालिक भरत सिंघल का यूपी पुलिस के वर्दीधारियों द्वारा अपहरण करने की सनसनीखेज घटना झूठी निकली। पुलिस अब झूठी शिकायत देने वाले के खिलाफ केस दर्ज कर सकती है। पुलिस ने भरत सिंघल के चालक की शिकायत पर किडनैप का केस दर्ज कर जांच शुरू की तो असलियत कुछ और निकली।

पुलिस ने चालक की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जानकारी के अनुसार भरत सिंघल अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ मिल से निकलकर बसताड़ा आरपीआईआईटी कॉलेज जा रहे थे। जैसे ही वह गांव कंबोपुरा के पास पहुंचे तो सामने से आई एक वैगनआर कार ने उनकी कार को हाथ देकर रुकवा लिया। उसमें से 3 लोग पुलिस की वर्दी मे थे और एक सिविल ड्रेस में था। इन लोगों ने पहले तो भरत सिंघल का नाम पूछा फिर कार से बाहर आने को कहा। नीचे उतरते ही उन्होंने भरत को जबरदस्ती वैगनआर कार में डाल लिया और अपने साथ मेरठ की तरफ ले गए। ड्राइवर ने घटना की सूचना कॉलेज प्रबंधन को दी। बाद में इस बारे में मधुबन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस थाना प्रभारी तरसेम चंद कांबोज ने बताया कि ड्राइवर की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है था।

उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि भरत सिंघल के खिलाफ यूपी में रेप सहित कई धाराओं में केस दर्ज है। उस मामले में पुलिस उसे पकड़ने के लिए करनाल आई थी। यूपी पुलिस ने सिविल लाईन थाने में इस बारे में अपनी आमद दर्ज कराई थी, लेकिन रवानगी दर्ज नहीं कराई। जिस कारण भरत सिंघल के अपहरण की घटना सामने आने की सूचना पर केस दर्ज किया गया। इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर कानूनी पहलुओं के आधार पर आगामी कार्रवाई करेगी।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जसबीर कौर ने किया सेफ हाउस का निरीक्षण

करनाल। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जसबीर कौर ने भागे हुए जोड़ों और लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ रहने वालों को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में निरीक्षण के लिए पुलिस लाइन, करनाल स्थित सेफ हाउस का बुधवार को दौरा किया, जिसका उद्धेश्य जिला स्तर पर ऐसे जोड़ों द्वारा सामना की जाने वाली शिकायतों को दूर करना था ताकि उन्हें मदद के लिए उच्च न्यायालय जाने के लिए मजबूर न होना पड़े।

उन्होंने बताया कि सेफ हाउस में कुल 8 जोड़े ठहरे हुए हैं। सेफ हाउस के परिसर के निरीक्षण के दौरान सीजेएम ने विवाहित जोड़ों की समस्याओं को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। जोड़ों के साथ व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से बातचीत की गई।

उन्हें सूचित किया गया कि जांच अधिकारियों द्वारा बयान दर्ज करने के दौरान यदि उन्हें कोई समस्या आ रही है तो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सलाह ले सकते हैं। सेफ हाउस में भोजन की लागत जोड़ों से ली जाती है। कपल्स को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। सेफ हाउस के इंचार्ज को परिसर को साफ-सुथरा रखने के निर्देश दिए।

उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के बारे में भी जागरूक किया गया और आस-पास साफ-सफाई रखने की समझाइश दी। रन अवे कपल्स से बातचीत के दौरान किसी भी कपल की ओर से उनके ठहरने और सुरक्षा को लेकर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

ऐसा कोई भी भागा हुआ जोड़ा डीएलएसए के कार्यालय में कार्यरत किसी भी सहायता के लिए संपर्क कर सकता है।

नागरिक 10 साल पुराने आधार कार्ड को करवाएं अपडेट-उपायुक्त अनीश यादव

करनाल। उपायुक्त अनीश यादव ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि वे अपने 10 साल पुराने आधार को अपडेट करवाएं। आधार को अपडेट करवाने से व्यक्ति को अनेक सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इनमें आधार के संग वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना से राशन लेना आसान होगा, देश में किसी भी डिपो से राशन ले सकेगा। आधार के माध्यम से बैंक खाता खुलवाना आसान होगा, लाभार्थियों को आसानी से लगभग एक हजार डिजिटल सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। सिम कार्ड लेना, आधार से स्कॉलरशिप पाना, इनकम टैक्स रिटर्न करवाना तथा आधार से गुमशुदा लोगों को उनके परिवारजनों से मिलवाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि किसी भी शिकायत या सुझाव के लिए 1947 डायल करें या help@uidai.gov.in पर मेल करें। उपायुक्त ने सभी विभागाध्यक्षों से पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने से पहले आधार को सत्यापित करने का भी आह्वान किया है ताकि नकली व फोटोशॉप किए गए फर्जी आधार कार्ड की पहचान करने में मदद मिल सके । यूआईडीएआई के डाटा के मुताबिक जिला में बहुत से ऐसे नागरिक हैं, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में आधार में अपने दस्तावेज अपडेट नहीं किए हैं। इसलिए उन्होंने आधार धारकों से आग्रह किया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में अपने आधार को अपडेट नहीं किया है, वे पहचान के प्रमाण (पीओआई) तथा पते के प्रमाण (पीओए)के वैध सहायक दस्तावेजों के साथ आधार को माई आधार पोर्टल या एम आधार ऐप के माध्यम से ऑनलाइन या निकटतम आधार केंद्र पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से अपडेट करें।

उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि पिछले एक दशक में आधार कार्ड भारत में निवासियों की पहचान के सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रमाण के रूप में उभरा है। नागरिक अपने आधार को पहचान के वर्तमान प्रमाण और पते के प्रमाण के साथ अपडेट रखें। बड़ी संख्या में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं और वित्तीय संस्थान जैसे बैंक और एनबीएफसी ग्राहकों को प्रमाणित करने और ऑनबोर्ड करने के लिए आधार का उपयोग करते हैं। उन्होंने जिला वासियों से आग्रह किया कि वे आधार विवरण में अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट करें तथा 5 और 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक भी अवश्य अपडेट करवाएं।